जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./व.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2022/डी–1778 दिनांकः– 29/11/2022

श्री कपिल रायसिंघानी,
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
मैसर्स महिमा रियल एस्टेट प्रा.लि.,
क्रिस्टल पाम, चतुर्थ तल,
बाईस गोदाम सर्किल, सहकार मार्ग, जयपुर।

विषयः– पुर्नगठित खसरा नम्बर 330, 333/492 ग्राम रामपुरारूपा तह. सांगानेर, टोंक रोड, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन के 29.60 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2022 के संदर्भ में पुर्नगठित खसरा नम्बर 330, 333/492 ग्राम रामपुरारूपा तह. सांगानेर, टोंक रोड, जयपुर में स्थित भूखण्ड़ (2389.80 व.मी.) पर 2 बेसमेन्ट + 0.50 मी. (प्लिन्थ) + 35.50 मी. (भूतल + 9 तल) = 36 मी. + 7.75 मी. (मशीन रूम) कुल 43.75 मी. ऊँचाई के प्रस्तावित व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए बीपीसी–बीपी की 264वीं बैठक दिनांक 12.10.2022 में प्रस्तुत किये गये थे।

आप द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 22.11.2022 के साथ एयरपोर्ट एन.ओ.सी. दिनांक 15.02.2022 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि *''प्रकरण में एयरपोर्ट विभाग द्वारा 29.76 मीटर ऊँचाई हेतु एन.ओ.सी. जारी की गई है। अतः 29.76 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र जारी करने का श्रम करावें। अतिरिक्त ऊँचाई का एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र प्राप्त होने क उपरान्त शेष ऊँचाई के भवन मानचित्र जारी करवा लिये जावेगें।''*

अतः विकासकर्ता द्वारा किये गये निवेदन के क्रम में 2 बेसमेन्ट + 0.50 मी. (प्लिन्थ) + 29.10 मी. (भूतल + 7 तल) = 29.60 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र बी.पी.सी. (बी.पी.) की 264वीं बैठक दिनांक 12.10.2022 के निर्णयानुसार निम्न शर्तो के साथ निर्माण स्वीकृति दी जाती हैः–

1. यह भवन निर्माण अवधि दिनांक 31.03.2023 (जोन से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 21.09.2022 अनुसार) तक प्रभावी हैं।
2. यह भवन अनुज्ञा, भवन मानचित्र जारी दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक 28.11.2029 तक प्रभावी हैं।
3. परियोजना में भूखण्ड़ के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.3.2 (ix, x) **(30 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु स्ट्रक्चरल डिजाईन व भवन में अपेक्षित सेवाओ के मानचित्र की प्रति 90 दिवस में प्रस्तुत करने के संबंध में)** (xi) **(अग्निशमन मानदण्डों की सुनिश्चितता)**, 10.11 **(पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम)**, 12.3 **(विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान)**, विनियम संख्या 15 **(निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया)**, नियम संख्या 15.5 **(भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण)**, 12.1 **(पार्किंग क्षेत्र की पालना)**, नियम 10.11.3 **(पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण)**, 10.11.4 **(सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल)**, 10.11.5 **(सौर ऊर्जा संयत्र)**, 16.3 **(सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट)** एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नविवि/3/2020 पार्ट–I दिनांक 07.09.2021 के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्विकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
4. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(ix व x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओ यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाऐं, वातानुकूल सेवाऐं आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

6. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।
7. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
8. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
9. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन–01, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
11. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
12. विकासकर्ता द्वारा प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
13. विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
14. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता व अधिवास प्रमाण पत्र हेतु जविप्रा में आवेदन किया जाना आवश्यक हैं। अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जविप्रा में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
15. परियोजना यदि रेरा में पंजीकृत करने योग्य हैं तो राजस्थान रियल एस्टेट (डवलपमेन्ट एण्ड रेगूलेशन) एक्ट एवं रूल्स 2017 से संबंधित नियमों की पालना आपके स्तर पर सुनिश्चित की जावेंगी।
16. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तडित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
17. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
18. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
19. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
20. परियोजना में आग से बचाव हेतु भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2 के अनुसार क्षरण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसको अन्य उपयोग अथवा कमरों में शामिल नहीं किया गया जावेंगा।

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

21. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेंगी।
22. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं पांच उत्तर दिनांकित चैक नम्बर 472744 दिनांक 16.11.2023, चैक नम्बर 472745 दिनांक 16.08.2024, चैक नम्बर 472747 दिनांक 16.05.2025, चैक नम्बर 472748 दिनांक 16.02.2026 एवं चैक नम्बर 472749 दिनांक 16.11.2026 क्रमशः राशि रूपये 50,69,246/– के आधार पर दी जा रही हैं। यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेंगी।
23. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित भवन मानचित्रों में बेसमेन्ट में 23 मैकेनिकल पार्किंग प्रस्तावित की गई हैं। अतः भवन विनियम 2020 के अनुसार प्रति मैकेनिकल कार पार्किंग हेतु 1 लाख रूपये प्रति कार के हिसाब से कुल 23 लाख रूपये की प्रस्तुत बैंक गारन्टी (मुख्य प्रबन्धक, आई.डी.बी.आई. बैंक, डी–24, दुर्लभ निवास, पृथ्वीराज रोड, सी–स्कीम, जयपुर) नम्बर 220013IBGP00158 Dated 21.11.2022 की वैद्यता अवधि दिनांक 21.11.2025 & Claim Expiry Date 21.11.2026 तक हैं। आप द्वारा नियमानुसार बैंक गारन्टी को भवन अनुज्ञा अवधि तक रि–वेलिडेट करवा कर जविप्रा में प्रस्तुत करना होगा।
24. प्रस्तुत बैंक गारन्टी (मुख्य प्रबन्धक, आई.डी.बी.आई. बैंक, डी–24, दुर्लभ निवास, पृथ्वीराज रोड, सी–स्कीम, जयपुर) नम्बर 220013IBGP00158 Dated 21.11.2022 का क्लेम अधिवास प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात किया जावेंगा।
25. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (11 मानचित्र)

भवदीय,

29/11/2022

वरिष्ठ नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन–01, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (11 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. रजिस्ट्रार, Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, 2nd & 3rd Floor, RSIC Building, Udyog Bhavan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005 को सूचनार्थ प्रेषित हैं।
4. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. उपायुक्त राजस्व–प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 6()/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
7. मुख्य प्रबन्धक, आई.डी.बी.आई. बैंक, डी–24, दुर्लभ निवास, पृथ्वीराज रोड, सी–स्कीम, जयपुर द्वारा जारी बैंक गारन्टी नम्बर 220013IBGP00158 Dated 21.11.2022 की वैद्यता अवधि दिनांक 21.11.2025 & Claim Expiry Date 21.11.2026 तक हैं। अतः जविप्रा से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात ही विकासकर्ता को बैंक गारन्टी लौटाई जावें।

वरिष्ठ नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

PLOT AREA = 2858.18 SQ.YDS. (2,389.80 SQ.MT.)
SURRENDERED LAND = 74.25 SQ.MT.
STANDARD B.A.R = 2,389.80 X 2 + 74.25 = 4853.85 SQ.MT.
B.A.R ACHIEVED = 8002.45 SQ.MT. (3.34)
GROUND COVERAGE AREA PERMISSIBLE = WITHIN SET- BACK
GROUND COVERAGE AREA ACHIEVED = (31.82 %) = 760.50 SQ.MT.
PARKING REQ. AS ACHIEVED COMMERCIAL B.A.R.= 7811.28 /75 X1.25(VISITORS) = 130.18 E.C.U.
PARKING REQ. AS ACHIEVED ROOF TOP RESTAURANT PER SEAT.= 20 /4 = 5.00 E.C.U.
PARKING PROVIDED = 106.00 CAR , 99 SCOOTER

PARKING CALCULATIONS:-

TOTAL B.A.R ACHIEVED = 8002.45 SQ.MT. (3.34)

ROOF TOP RESTAURANT B.A.R = 191.17 SQ.MT.

COMMERCIAL B.A.R = 7811.28 SQ.MT.

NO. OF E.C.U. REQUIRED @ 1 E.C.U. PER

COMMERCIAL PARKING $\frac{\text{BAR ACHIEVED}}{75} = \frac{7811.28}{75}$ = 104.15 E.C.U

25 % VISITOR PARKING = 104.15 X 0.25 = 26.03 E.C.U.

TOTAL PARKING REQUIRED = 104.15 + 26.03 = 130.18 E.C.U.

75 % CAR PARKING REQ. = 130.18 X 0.75 = 97.63 E.C.U. , CAR 98.00 SAY

25 % SCOOTER PARKING REQ. = 99 SCOOTER

ROOF TOP RESTAURANT PARKING = 4 SEAT PER 1.E.C.U.

ROOF TOP RESTAURANT PARKING = 20 SEAT X 4 = 5.00 E.C.U (SAY = 5.00 CAR)
TOTAL GRAND PARKING REQUIRED = 98 +5.00 = 103 E.C.U.
PARKING AVAILABLE =
CAR PARK IN OPEN AREA = 27 NO.S
CAR PARK IN UPPER BASEMENT FLOOR = 31 NO.S
CAR PARK IN LOWER BASEMENT FLOOR = 25 NO.S
MECHANICAL PARKING = 23 NO.S

TOTAL = 106.00 NO.S

TWO WHEELERS IN UPPER BASEMENT = 59 NO.S
TWO WHEELERS IN LOWER BASEMENT = 40 NO.S

TOTAL = 99 (33 E.C.U.) NO.S

TOTAL PARKING PROVIDED = 106.00 + 33 = 139 E.C.U.

NOTE:- UPTO 7th FLOOR, 29.60MT HEIGHT
TOTAL GBUA = 11001.20 SQ.MT.
TOTAL BAR = 6215.35 SQ.MT.

B.A.R CLACULATION SHEET

S.NO.	FLOORS	GROSS B.UA. (SQ.MT.)	FIRE-ESCAPE (SQ.MT.)	ELEVATION ELEMENTS (SQ.MT.)	REFUGE AREA (SQ.MT.)	SERVICES SHAFT&S.T.P W.T.P &WATER TANK PUMP ROOM (SQ.MT.)	LIFT (SQ.MT.)	B.A.R. (SQ.MT.)	NO. OF OFFICE PER FLOOR (SQ.MT.)
1.	LOWER BASEMENT	1580.20	-	-	-	200.14	18.49	PARKING	PARKING
2.	UPPER BASEMENT	1582.60	-	-	-	59.14	18.49	PARKING	PARKING
3.	GROUND FLOOR	517.66	20.56	-	-	1.44	18.49	477.42	COMMERCIAL ACTIVITY
4.	FIRST FLOOR	1027.68	20.56	151.45	-	11.92	18.49	825.26	11 TH OFFICE
5.	SECOND FLOOR	1031.37	20.56	152.24	-	11.92	18.49	828.16	11 TH OFFICE
6.	THIRD FLOOR	1034.85	20.56	152.24	-	11.92	18.49	831.64	11 TH OFFICE
7.	FOURTH FLOOR	1038.90	20.56	153.54	-	11.92	18.49	834.39	11 TH OFFICE
8.	FIFTH FLOOR	1030.08	20.56	152.73	-	11.92	18.49	826.38	11 TH OFFICE
09.	SIXTH FLOOR	1006.76	20.56	150.60	-	11.92	18.49	805.19	11 TH OFFICE
10.	SEVENTH FLOOR	1078.27	20.56	133.12	107.27	11.92	18.49	786.91	01 OFFICE
11.	EIGHTH FLOOR	998.84	20.56	148.80	-	11.92	18.49	799.07	02 OFFICE
12	NINTH FLOOR	995.06	20.56	147.29	-	11.92	18.49	796.86	01 OFFICE
13.	TERRACE/ ROOF TOP	314.90	-	-	-	-	-	191.17	-
14.	GUARD -ROOM	3.24	-	-	-	-	-	-	-
15.	D.G SET& TRANSFORMER	70.00	-	-	-	-	-	-	-
14.	TOTAL	13310.00	205.60	1341.95	107.27	368.00	221.88	8002.45	70 OFFICE

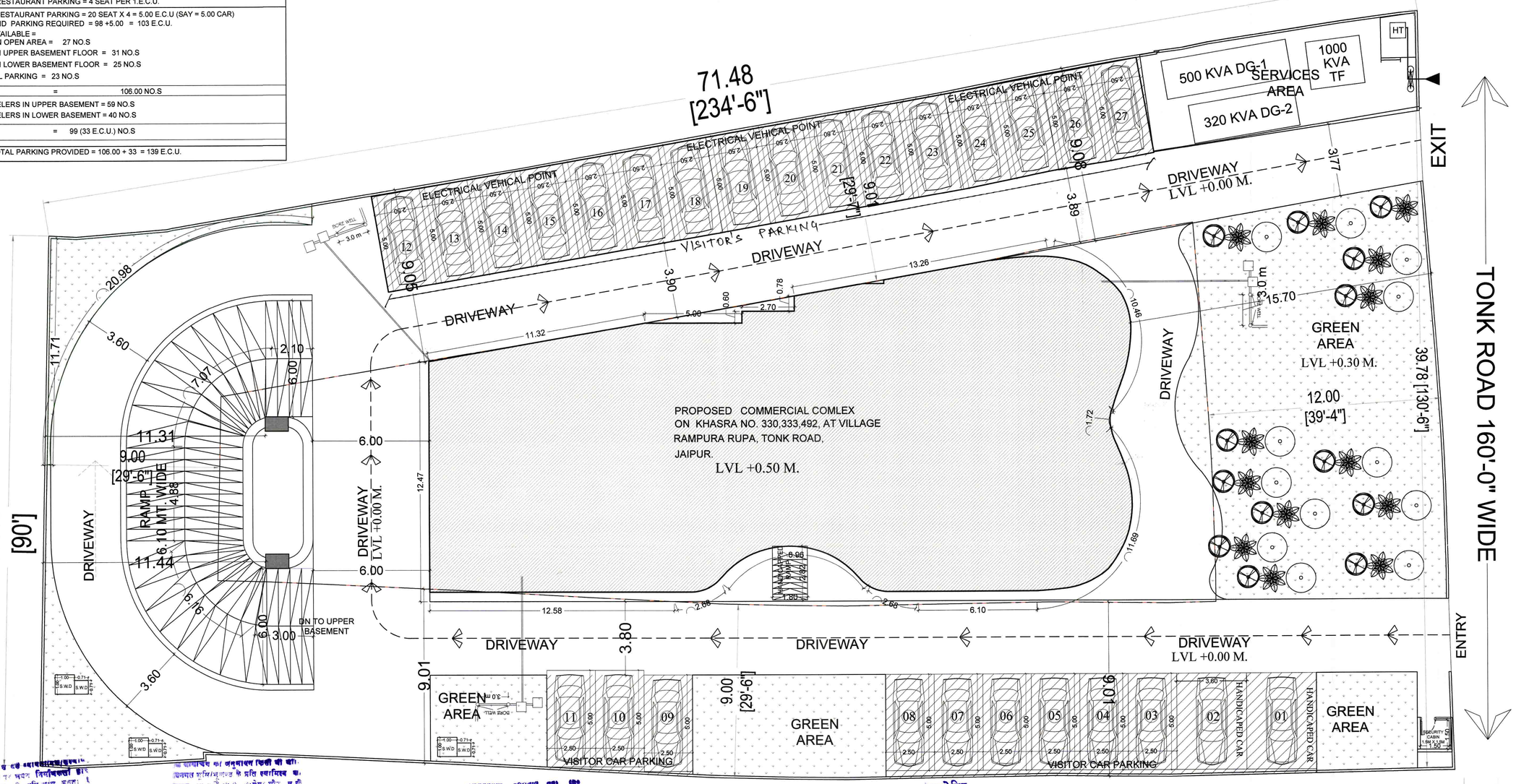

SHEET NO.01

SITE - PLAN & CALCULATION TABLE

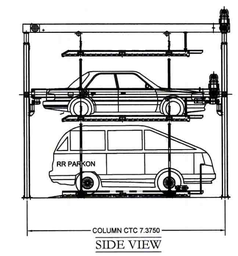

SIDE VIEW

MECHANICAL CAR PARKING

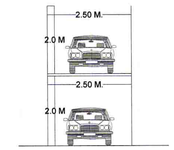

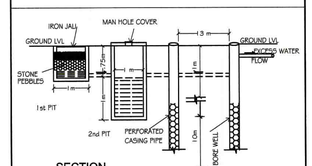

SECTION

HARVESTING STRUCTURE

DRAWING TITLE :-

SITE - PLAN & CALCULATION TABLE

MAHIMA REAL ESTATE PVT. LTD.

PROJECT TITLE :
COMMERCIAL TOWER " MAHIMA MAGNUS"
On KHASRA NO. 330, 333/492.
AT VILLAGE RAMPURA RUPA,
TONK ROAD, JAIPUR.

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Mahima Real Estate Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

Ar. Jitendra Sharma
72, Sardar Patel Marg, Opp. CPMG
Office C-Scheme, Jaipur (Raj.)-302001
CA/2009/41194
CTP No./Architects/2021/37

OWNER | ARCHITECT

approach should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

अनुमोदित
नगरीय नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

No. of cars in lower basement= 25+23(stacked)=48
No. of two wheelers in Lower basement= 40= 13.33 ECU

...plicant should get the ...construction checked at plinth ...val before proceeding for ...ther construction

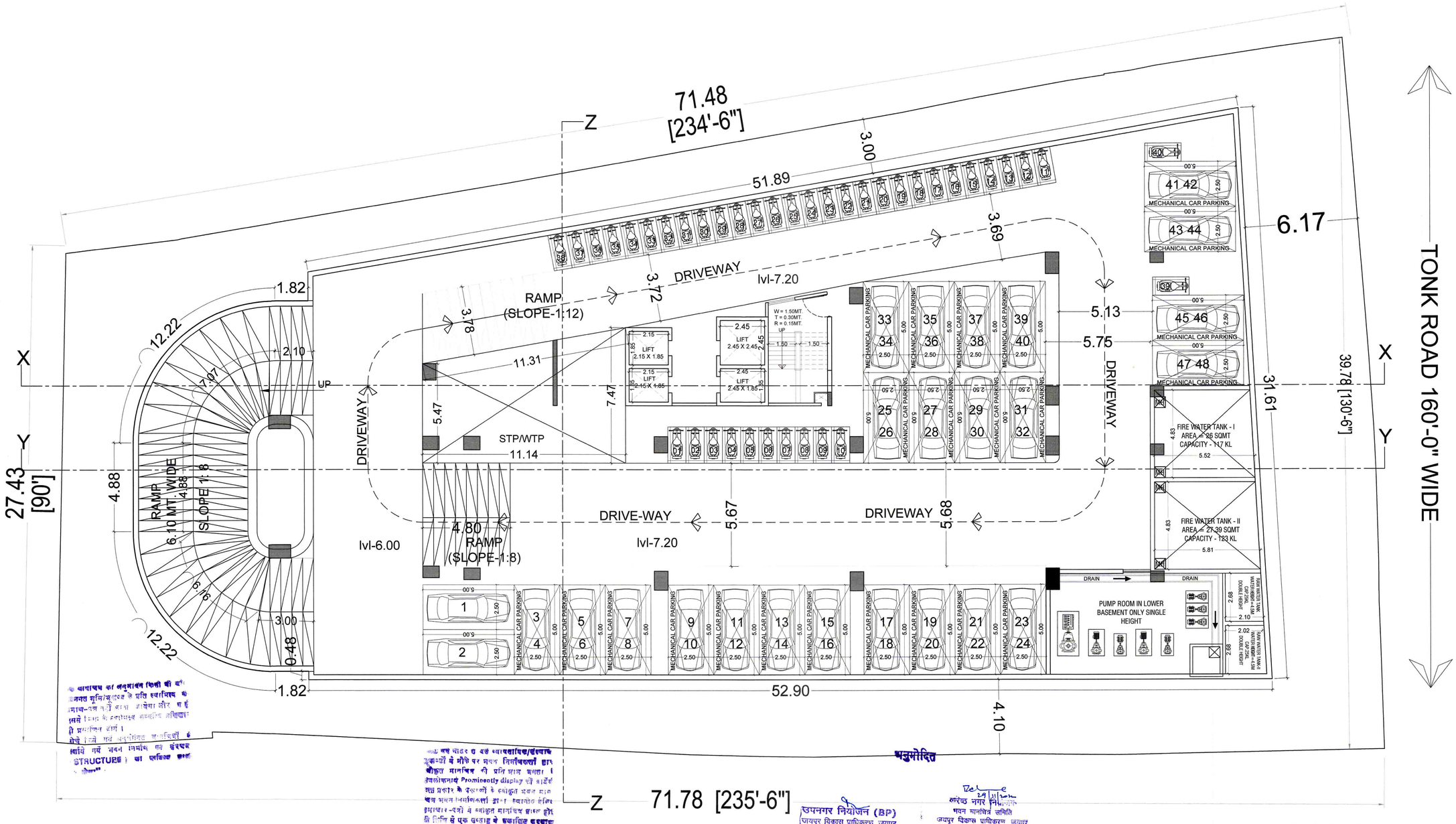

...आधार का अनुमोदन किसी भी ...ननत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व ...माण-पत्र नहीं माना जायेगा और यह ...सके लिए के स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों ...ी प्रमाणिक होगें।
...नीचे लिखे गये अनुमोदित अभिलेखों ...ारियों सहित भवन निर्माण एवं संधारण ...STRUCTURES ...ा पालिका द्वारा ...

...यह मोहर या अन्य स्वामित्व/हस्तान्त ...खण्डों में मौके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा ...वीकृत मानचित्र की प्रति प्राप्त कराना ...वलोकनार्थ Prominently display की जाएँ ...सी प्रकार के उल्लंघनों के स्वीकृत भवन मान ...चय भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वयमेव लिख ...ाधार। ऐसी ये स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने ...ि तिथि से एक वर्ष के पश्चात स्वयमेव ...रीकार होगा।

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

SHEET NO.02

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

DRAWING TITLE :-

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

MAHIMA REAL ESTATE PVT. LTD.

PROJECT TITLE :
COMMERCIAL TOWER " MAHIMA MAGNUS"
On KHASRA NO. 330, 333/492.
AT VILLAGE RAMPURA RUPA,
TONK ROAD, JAIPUR.

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Mahima Real Estate Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

OWNER

Ar. Jitendra Sharma
72, Sardar Patel Marg, Opp. CPMG
Office C-Scheme, Jaipur (RAJ.)-302001
CA/2009/45196
CTP 2111/Architects/2021/32

ARCHITECT

No. of cars in upper basement= 31
No. of two wheelers in upper basement= 59= 19.66 ECU

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (प्रेस)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नगरीय नगर नियोजन
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

Approval should get the construction checked at Dhuleti level before proceeding to further construction

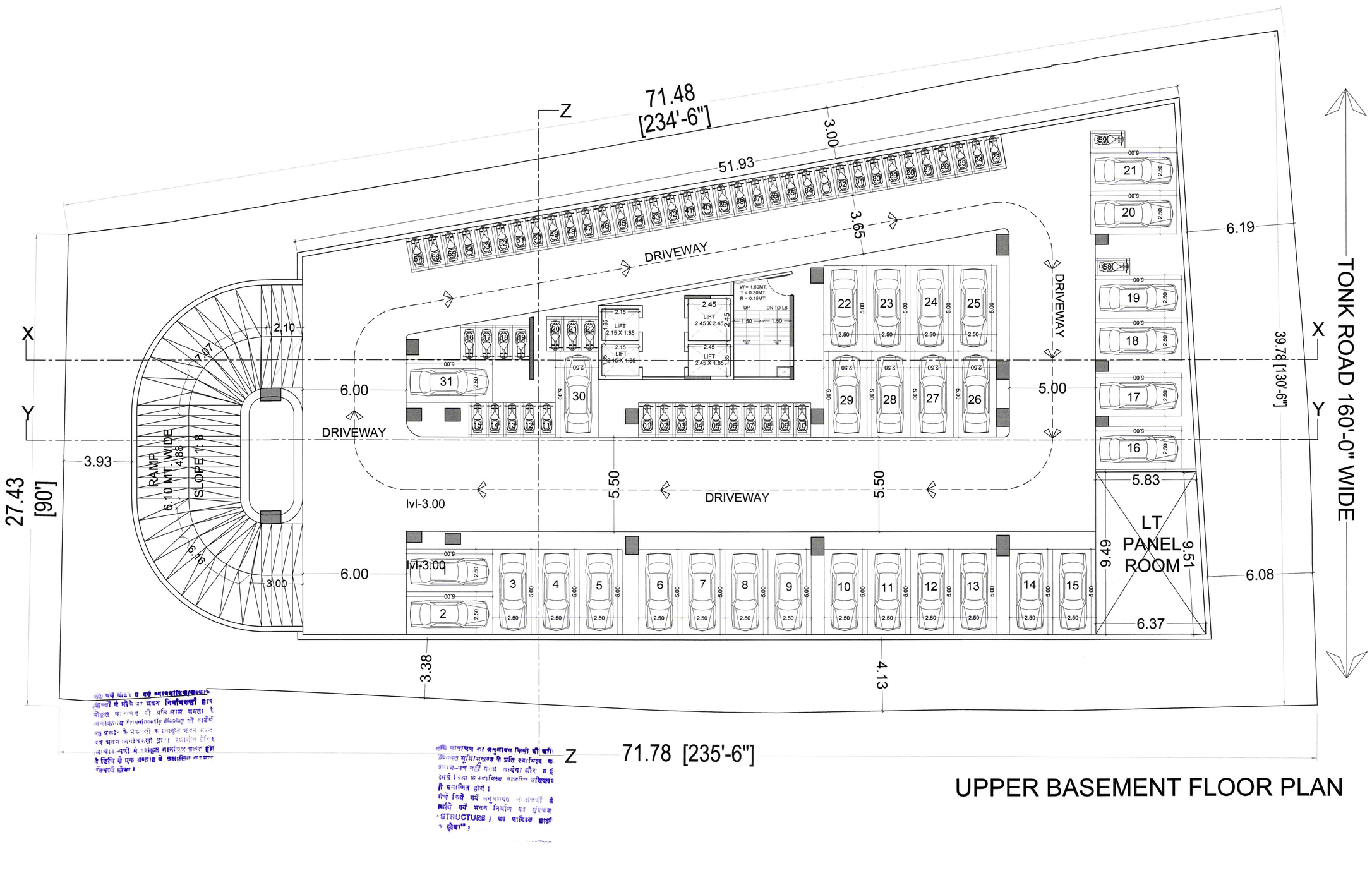

UPPER BASEMENT FLOOR PLAN

यह मानचित्र या वर्ष अनुज्ञापत्र/अनुज्ञप्ति जारी में लोके पर भवन निर्माण्कर्ता द्वारा प्रस्तुत मानचित्र की प्रति लाल अथवा ब्लैक-एण्ड Prominently display की साईट पर प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार के प्रदर्शन के अनुज्ञा भवन संबंधित भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थापित होने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। ऐसी से अनुज्ञा समाप्त मान ली जावेगी।

यदि न्यायालय का अनुशासन किसी भी भाग के विरुद्ध मूर्ति/मुकदमे के प्रति स्थगित या प्रभाव-ग्रस्त नहीं करता होगा और यह इससे किया के स्थगित अथवा अन्तिम अधिकार ही प्रभावित होंगे।
मोके किये गये अनुमोदन सम्बन्धी से स्थिर गये भवन निर्माण एवं संरचना (STRUCTURES) का दायित्व आवेदक का होगा।

SHEET NO.03

UPPER BASEMENT FLOOR PLAN

DRAWING TITLE :-

UPPER BASEMENT FLOOR PLAN

MAHIMA REAL ESTATE PVT. LTD.

PROJECT TITLE :
COMMERCIAL TOWER " MAHIMA MAGNUS"
On KHASRA NO. 330, 333/492.
AT VILLAGE RAMPURA RUPA,
TONK ROAD, JAIPUR.

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Mahima Real Estate Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

OWNER

Ar. Jitendra Sharma
72, Sardar Patel Marg, Opp. CPMG
Office C-Schenae, Jaipur (Raj.)-302001
CA/2009/45106
CTP RAJ./Architects/2021/32

ARCHITECT

No. of cars on ground floor = 27

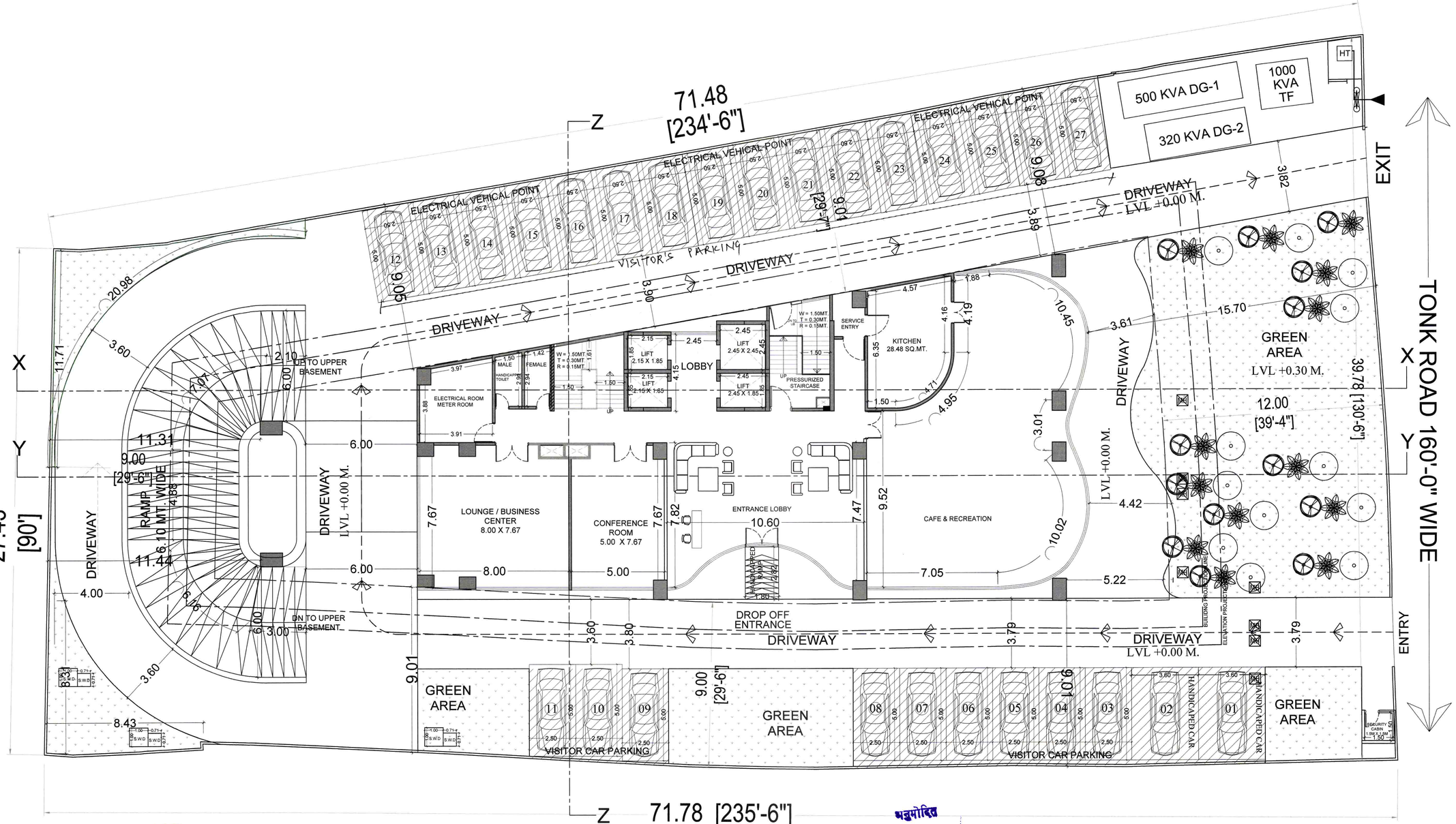

GROUND FLOOR PLAN

SHEET NO.04

GROUND FLOOR PLAN

DRAWING TITLE :-

GROUND FLOOR PLAN

MAHIMA REAL ESTATE PVT. LTD.

PROJECT TITLE :
COMMERCIAL TOWER " MAHIMA MAGNUS"
On KHASRA NO. 330, 333/492.
AT VILLAGE RAMPURA RUPA,
TONK ROAD, JAIPUR.

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Mahima Real Estate Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

OWNER

ARCHITECT

Ar. Jitendra Sharma
72, Sardar Patel Marg, Opp. CBMG
Office C-Scheme, Jaipur (Raj.)-302001
CA/2009/40106
CTP No.

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नगरीय नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

...represent... ...ground... ...gth...
...onstruction directed at prima...
...aval... before... proceeding... ...ject
...ilder... ...ssist...ervice

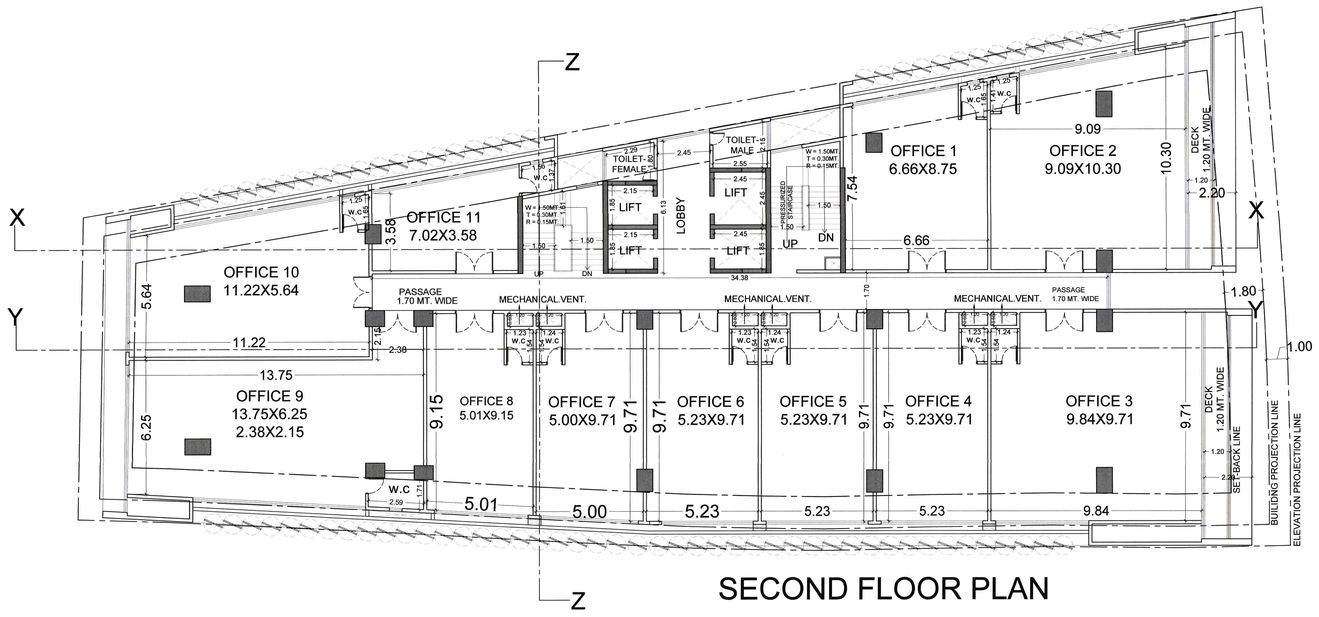

SECOND FLOOR PLAN

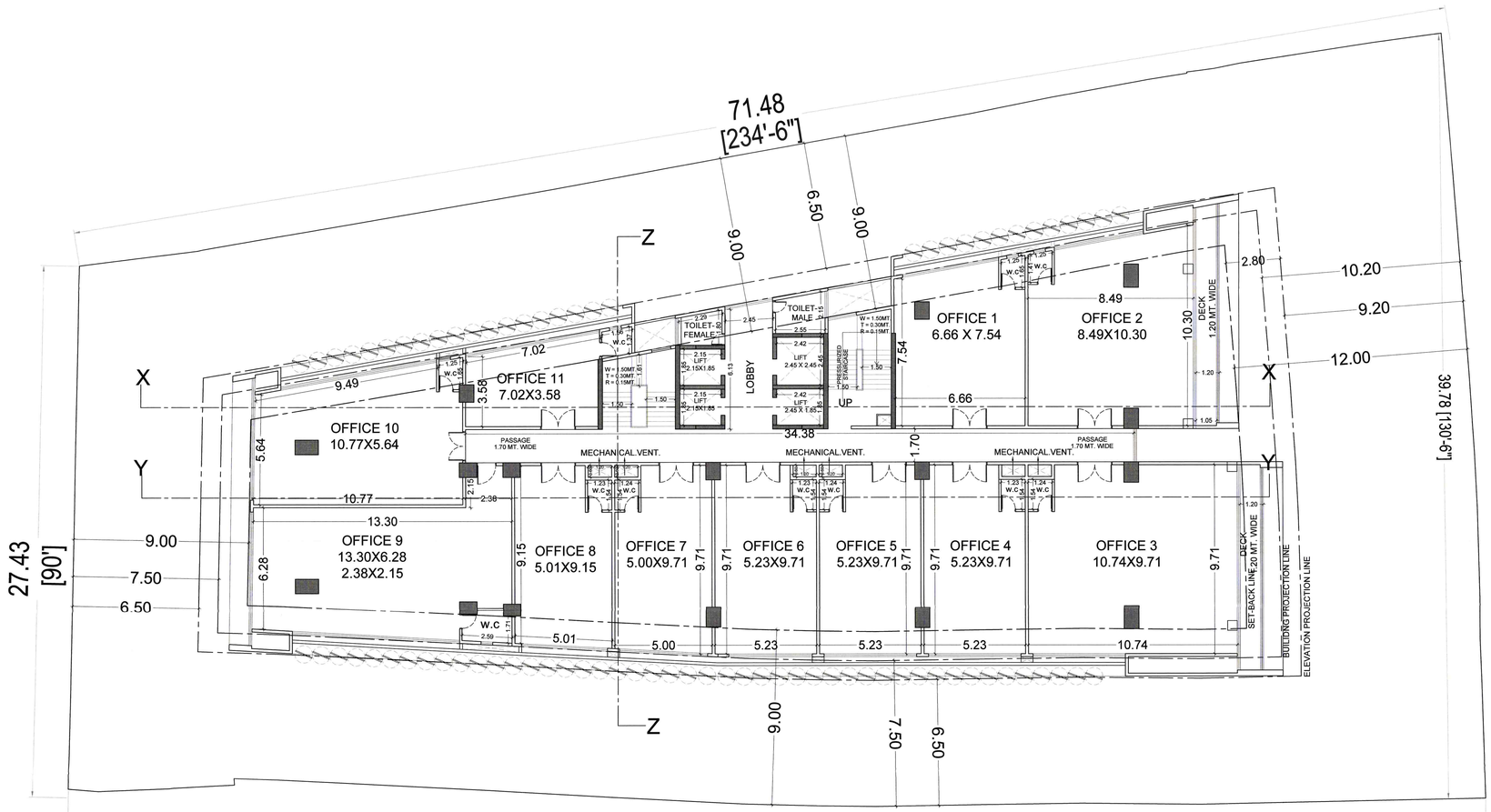

FIRST FLOOR PLAN

...आवासन... ...अनुमोदन... ...किसी भी अन्य...
...उपलब्ध... ...प्रति... ...स्थापित...
...प्रावधान... ...के लिये... ...अनुसार...
...हुए... ...अनुमोदित... ...नियमों...
...मेरे... ...ने... ...प्रमाणित... ...किया...
...आर्किटेक्ट... ...ने...
...मेरे... ...ने... ...प्रमाणित... ...किया...
...आर्किटेक्ट... ...ने...
...आर्किटेक्ट... ...भवन... ...संरचना... ...का... ...प्रमाणित...
...STRUCTURE... ...का... ...किया...
...के अनुसार...

...भवन... ...स्वीकृत... ...नियमों... ...प्रति... ...अनुसार... ...है...
...Prominently display... ...करेंगी...
...के... ...के... ...स्वीकृत... ...भवन...
...भवन... ...प्रमाणपत्रों... ...द्वारा... ...स्वतंत्रता...
...प्रमाण-पत्रों... ...के... ...स्वीकृत... ...प्रावधान... ...होगा...
...की... ...से... ...पूरा... ...करवाकर... ...प्रमाणित...
...भवन... ...करेंगे।

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव नगरीय नियोजक
नगर नगरीय समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

SHEET NO.05

FIRST & SECOND FLOOR PLAN

DRAWING TITLE :-

FIRST & SECOND FLOOR PLAN

MAHIMA REAL ESTATE PVT. LTD.

PROJECT TITLE :
COMMERCIAL TOWER " MAHIMA MAGNUS"
On KHASRA NO. 330, 333/492.
AT VILLAGE RAMPURA RUPA,
TONK ROAD, JAIPUR.

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Mahima Real Estate Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

OWNER

Ar. Jitendra Sharma
72, Sardar Patel Marg, Opp. ...
Civil Lines, Jaipur (Raj.)...
CA/2009/45196

ARCHITECT

अनुमोदित
उपनगर नियोजन (SP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
नगरीय नगर नियोजन
भवन मानचित्र शाखा
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
Construction checked at plinth level before proceeding to further construction.

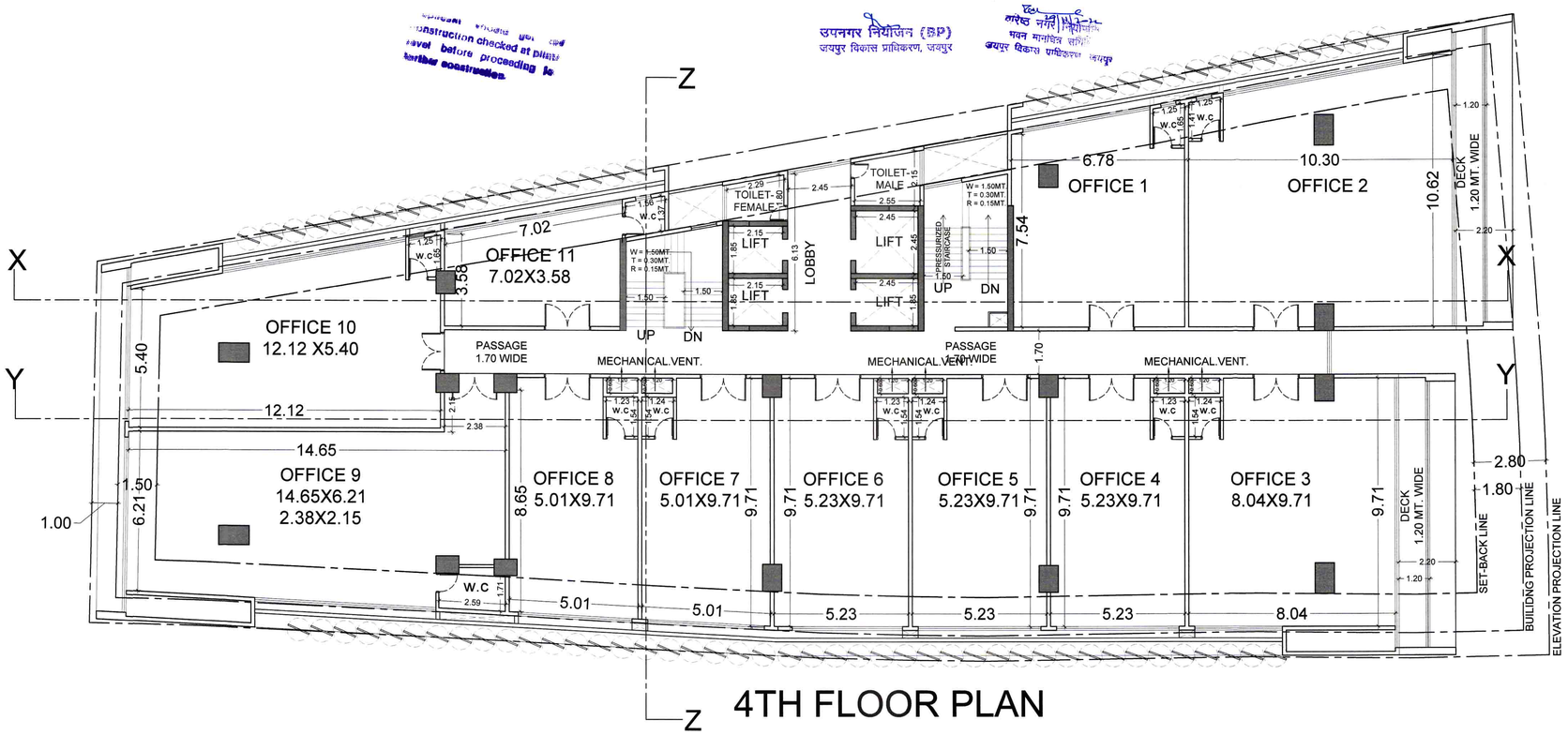

4TH FLOOR PLAN

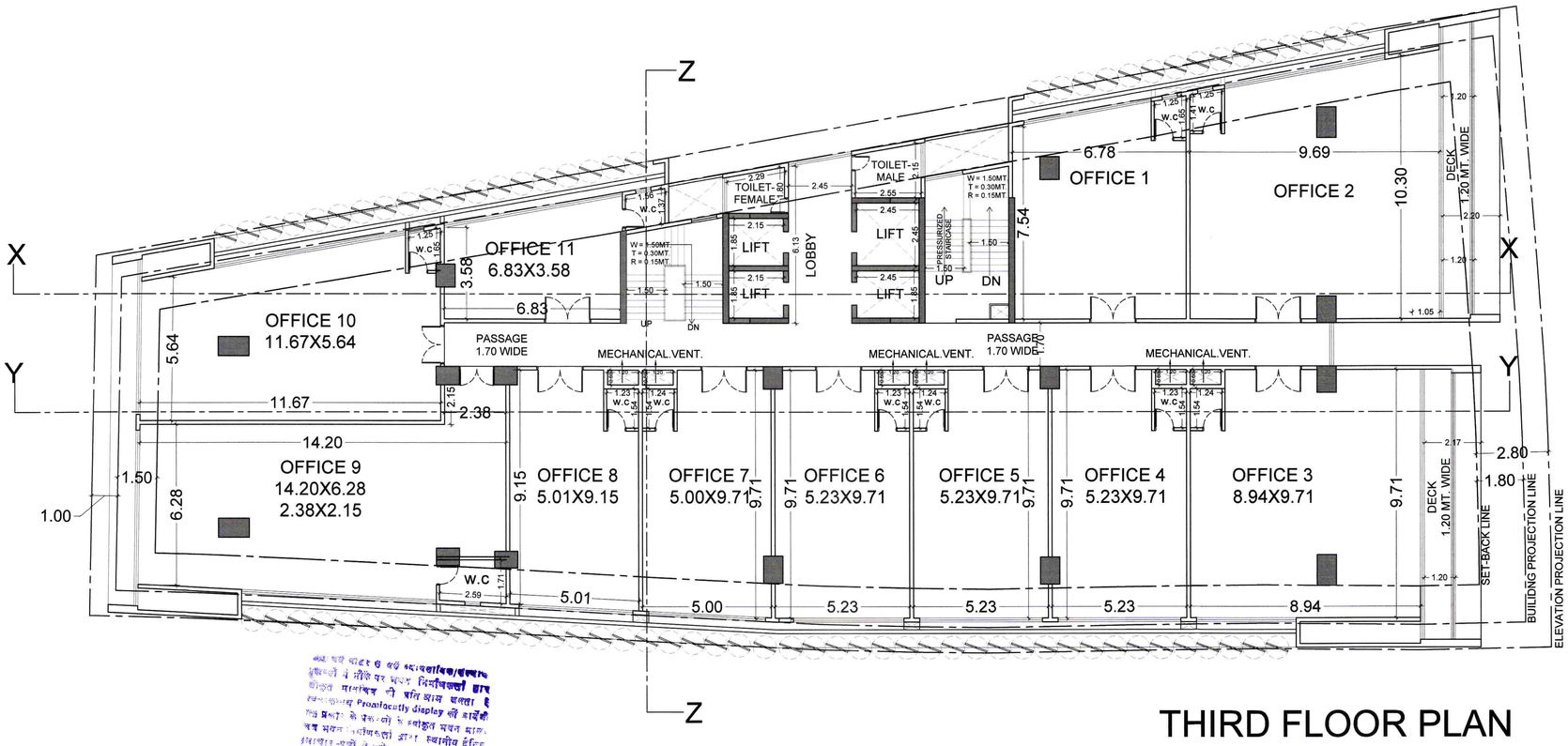

THIRD FLOOR PLAN

भवन मानचित्र स्वीकृति के अनुसार ही कार्य किया जाना है। किसी भी प्रकार के परिवर्तन/परिवर्धन की स्वीकृति प्राधिकरण से प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो भवन निर्माण की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। भवन निर्माण के दौरान भवन उपविधियों के अन्तर्गत निर्धारित सेटबैक्स में किसी भी प्रकार का निर्माण मलबा आदि नहीं डाला जाना है। भवन निर्माण के दौरान सुरक्षा के समस्त उपाय किये जाने हैं। भवन निर्माण के दौरान आस-पास के भवनों/सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी। भवन निर्माण के दौरान श्रमिकों के लिये सुरक्षित आवास, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। भवन निर्माण के दौरान निर्माण सामग्री को सड़क पर नहीं डाला जाना है। भवन निर्माण के दौरान ध्वनि प्रदूषण के मानकों की पालना करनी होगी। भवन निर्माण के दौरान वृक्षों की सुरक्षा करनी होगी। भवन निर्माण के दौरान जल संरक्षण के उपाय करने होंगे और वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था करनी होगी। भवन निर्माण के दौरान विद्युत सुरक्षा के समस्त उपाय किये जाने हैं। भवन निर्माण के दौरान अग्नि सुरक्षा के समस्त उपाय किये जाने हैं। भवन निर्माण के दौरान श्रमिकों के लिये सुरक्षित आवास, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। भवन निर्माण के दौरान निर्माण सामग्री को सड़क पर नहीं डाला जाना है। भवन निर्माण के दौरान ध्वनि प्रदूषण के मानकों की पालना करनी होगी। भवन निर्माण के दौरान वृक्षों की सुरक्षा करनी होगी। भवन निर्माण के दौरान जल संरक्षण के उपाय करने होंगे और वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था करनी होगी। भवन निर्माण के दौरान विद्युत सुरक्षा के समस्त उपाय किये जाने हैं। भवन निर्माण के दौरान अग्नि सुरक्षा के समस्त उपाय किये जाने हैं।

भवन मानचित्र स्वीकृति के अनुसार ही कार्य किया जाना है। किसी भी प्रकार के परिवर्तन/परिवर्धन की स्वीकृति प्राधिकरण से प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो भवन निर्माण की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। भवन निर्माण के दौरान भवन उपविधियों के अन्तर्गत निर्धारित सेटबैक्स में किसी भी प्रकार का निर्माण मलबा आदि नहीं डाला जाना है। भवन निर्माण के दौरान सुरक्षा के समस्त उपाय किये जाने हैं। भवन निर्माण के दौरान श्रमिकों के लिये सुरक्षित आवास, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। भवन निर्माण के दौरान निर्माण सामग्री को सड़क पर नहीं डाला जाना है। भवन निर्माण के दौरान ध्वनि प्रदूषण के मानकों की पालना करनी होगी। भवन निर्माण के दौरान वृक्षों की सुरक्षा करनी होगी। भवन निर्माण के दौरान जल संरक्षण के उपाय करने होंगे और वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था करनी होगी। भवन निर्माण के दौरान विद्युत सुरक्षा के समस्त उपाय किये जाने हैं। भवन निर्माण के दौरान अग्नि सुरक्षा के समस्त उपाय किये जाने हैं।

SHEET NO.06

THIRD & FOURTH FLOOR PLAN

DRAWING TITLE :-

THIRD & FOURTH FLOOR PLAN

MAHIMA REAL ESTATE PVT. LTD.

PROJECT TITLE :
COMMERCIAL TOWER " MAHIMA MAGNUS"
On KHASRA NO. 330, 333/492.
AT VILLAGE RAMPURA RUPA,
TONK ROAD, JAIPUR.

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Mahima Real Estate Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

OWNER

Ar. Jitendra Sharma
72, Sardar Patel Marg, Opp. CPMG
Office C-Scheme, Jaipur (Raj.)-302006
CA/2007/45158
GSTIN 08AAAFS4158P1ZV

ARCHITECT

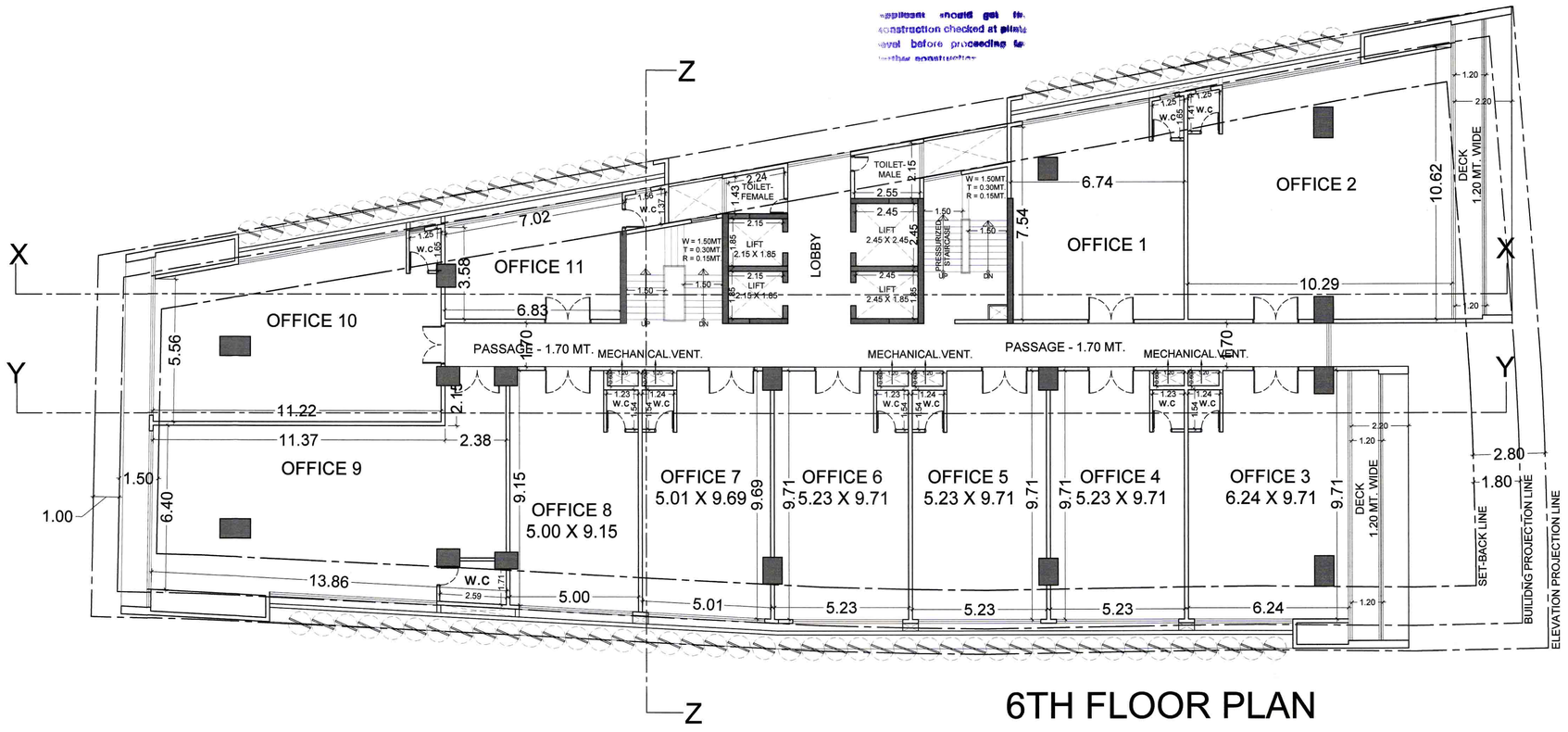

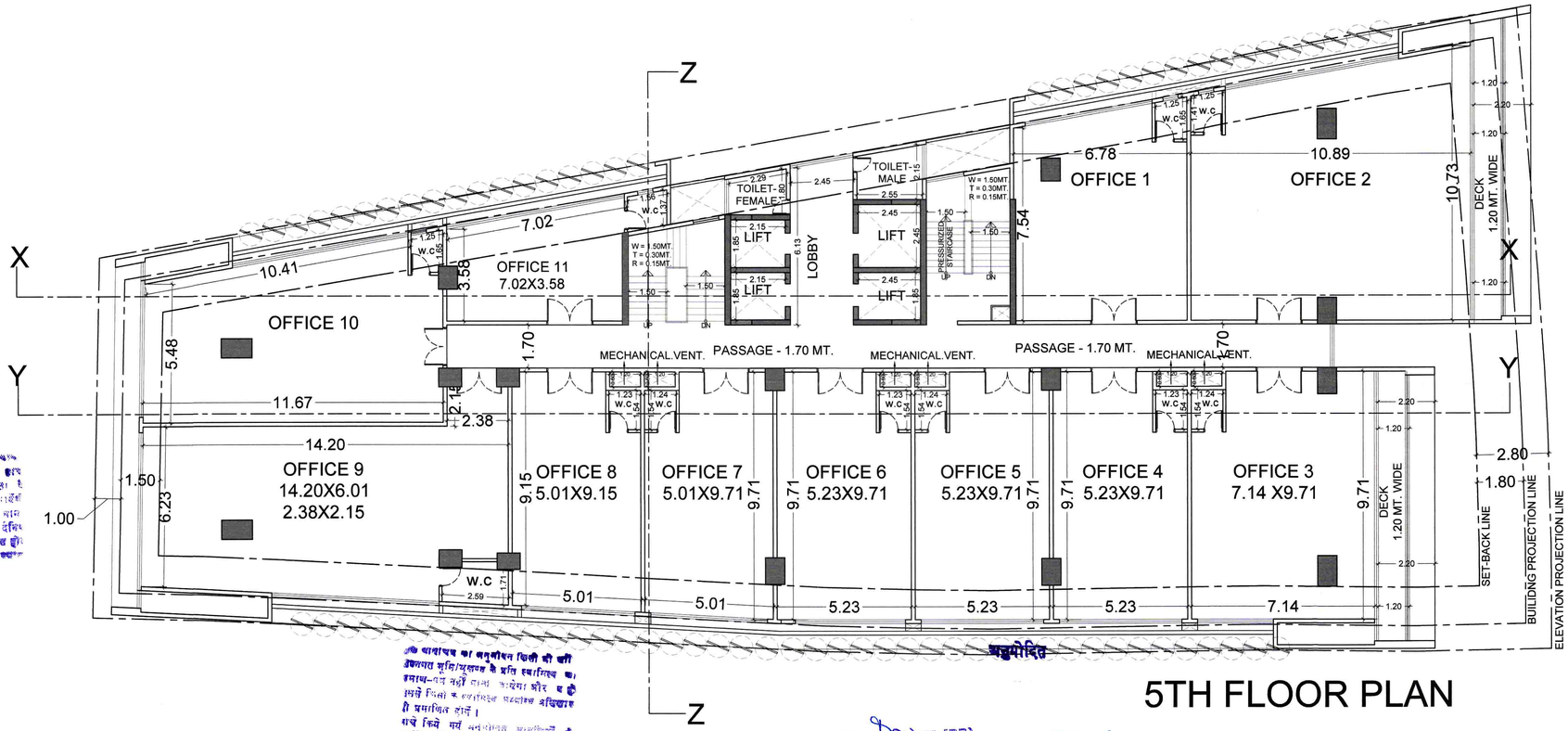

SHEET NO.07

5TH & 6TH FLOOR PLAN

DRAWING TITLE :-

5TH & 6TH FLOOR PLAN

MAHIMA REAL ESTATE PVT. LTD

PROJECT TITLE :
COMMERCIAL TOWER " MAHIMA MAGNUS"
On KHASRA NO. 330, 333/492.
AT VILLAGE RAMPURA RUPA,
TONK ROAD, JAIPUR.

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Mahima Real Estate Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

Ar. Jitendra Sharma
72, Sardar Patel Marg, Opp. CPMG
Office C-Scheme, Jaipur (Raj.)-302001
CA/2000/43195

OWNER

ARCHITECT

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नगरीय नगर निवेशक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

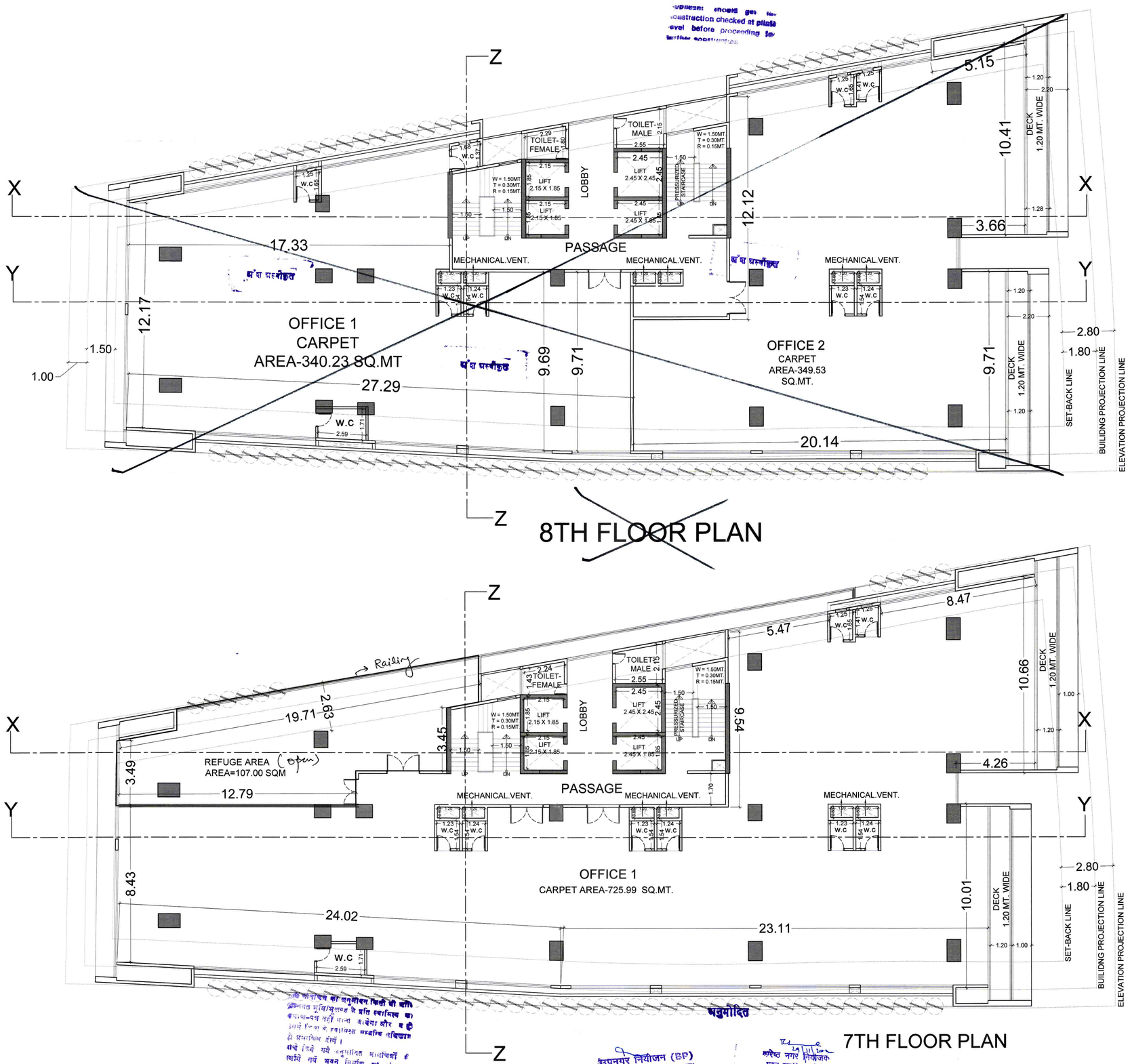

Applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

अंश अस्वीकृत

अंश अस्वीकृत

अंश अस्वीकृत

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (EP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

SHEET NO.08

7TH & 8TH FLOOR PLAN

DRAWING TITLE :-

7TH & 8TH FLOOR PLAN

MAHIMA REAL ESTATE PVT. LTD

PROJECT TITLE :
COMMERCIAL TOWER " MAHIMA MAGNUS"
On KHASRA NO. 330, 333/492.
AT VILLAGE RAMPURA RUPA,
TONK ROAD, JAIPUR.

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Mahima Real Estate Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

OWNER

Ar. Jitendra Sharma
72, Sardar Patel Marg, Opp. CPMG
Office C-Scheme, Jaipur (Raj.)-302001
CA/2009/45196
CTP RAJ/Architects/2023/32

ARCHITECT

SHEET NO. ~~109~~

SECTIONS

...ephasan ...hem... get ...
construction checked at plinth
...evel before proceeding for
further construction

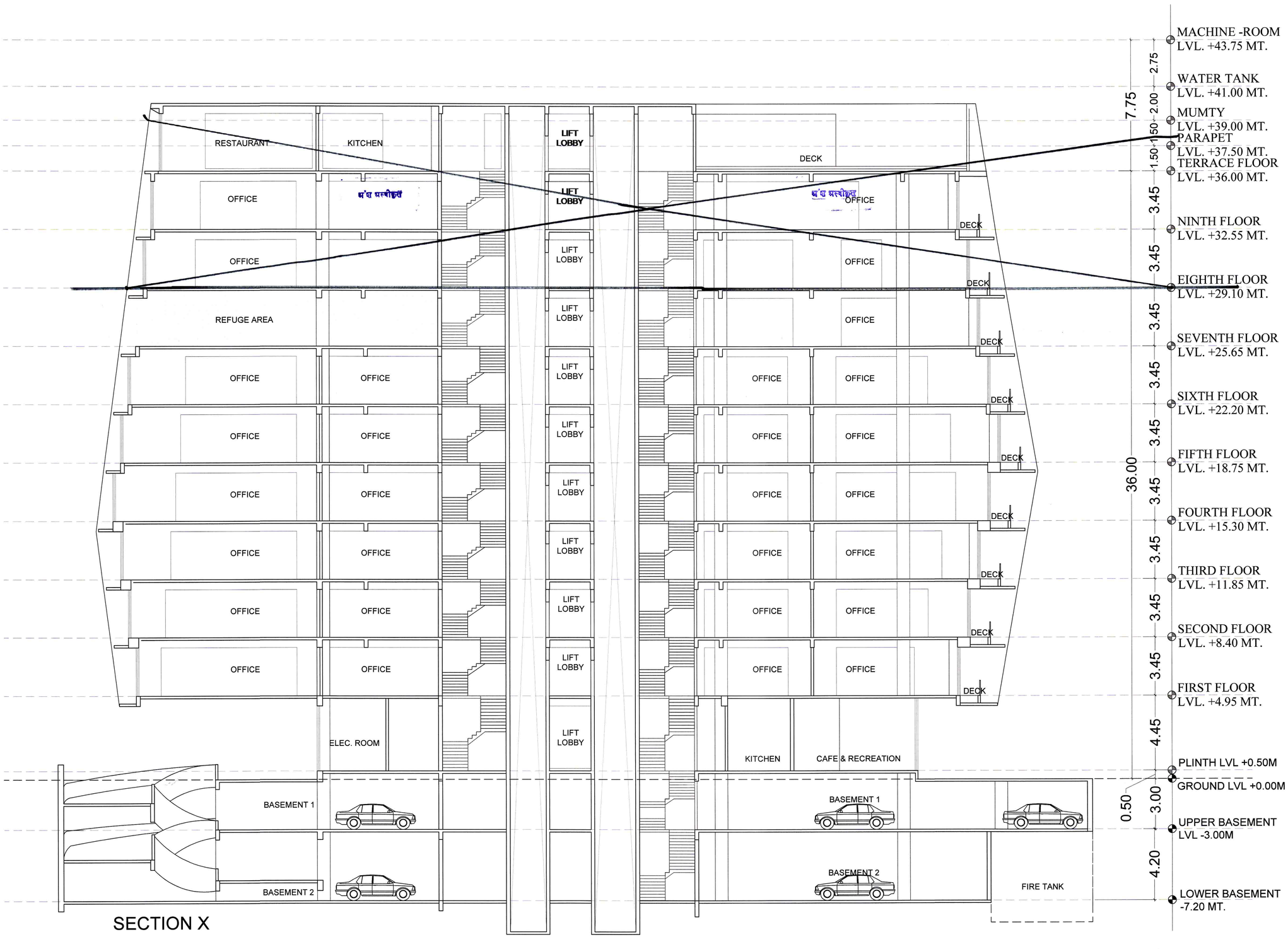

SECTION X

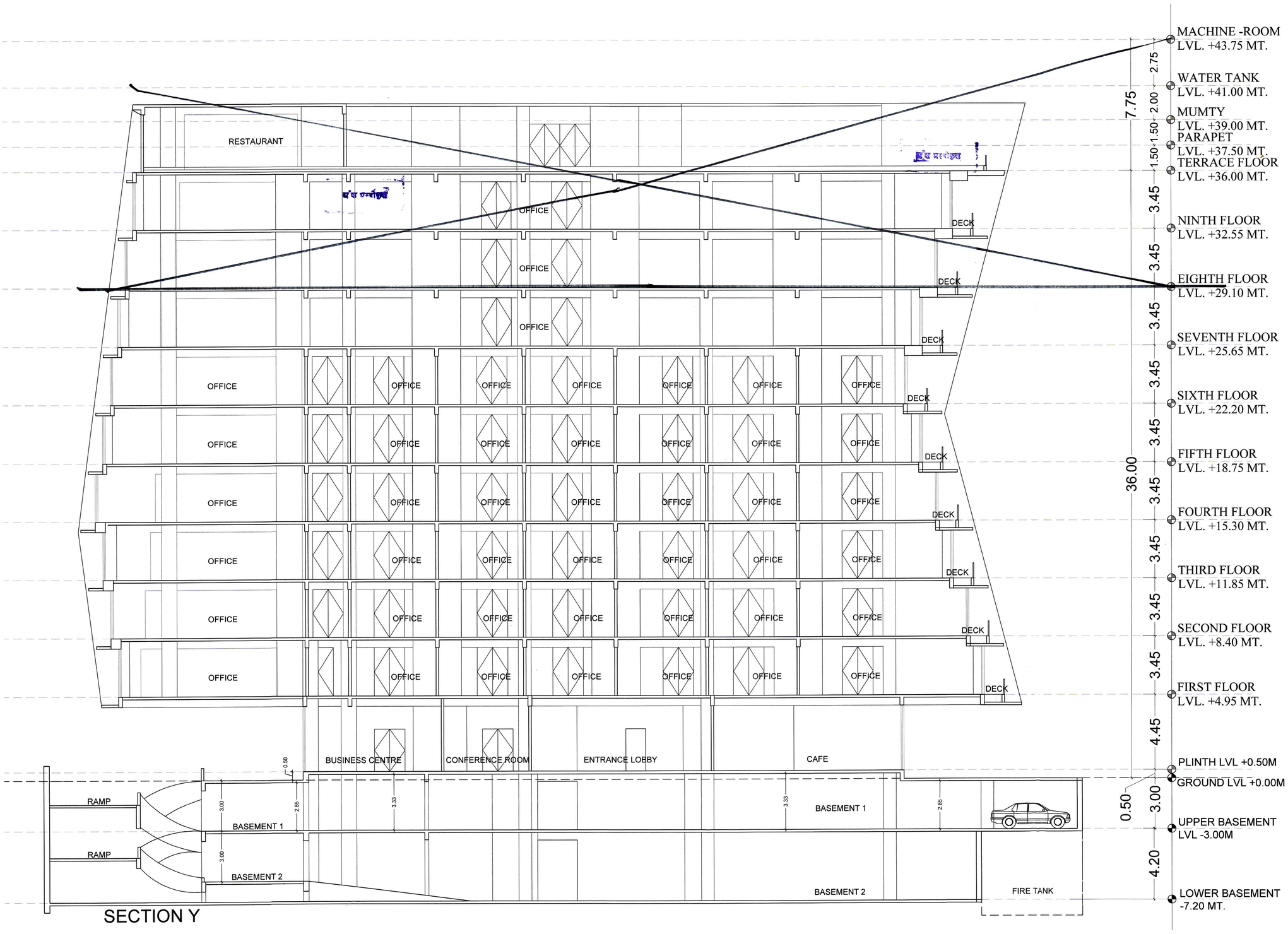

SECTION Y

...ध्यक्ष/कार्यालय...
...ने मौके पर भवन निर्माणवार्ता हाउ...
...मानचित्र की प्रति आम जनता...
...प्रमुखतार्थ Prominently display की जावेगी...
...भवन...
...अंकित होने...
...से दिनांक से एक सप्ताह के भीतर...

...कार्यालय का अनुमोदन लिखी की तारीख...
...सूचित/प्रदत्त से प्रति स्वामित्व का...
...पत्र नहीं दावा आदेश लेख न हो...
...किसी के स्वामित्व सम्बन्ध अधिकार...
...प्रमाणित होगें।
...किये गये अनुमोदित मानचित्रों के...
...गये भवन निर्माण का संचालन...
...STRUCTURE) का अधिकार...
...हुआ"

अनुमोदित

...नियोजन (BP)
...विकास प्राधिकरण, जयपुर,

...नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

DRAWING TITLE :-

SECTIONS

MAHIMA REAL ESTATE PVT. LTD.

PROJECT TITLE :

COMMERCIAL TOWER " MAHIMA MAGNUS"

On KHASRA NO. 330, 333/492.

AT VILLAGE RAMPURA RUPA,
TONK ROAD, JAIPUR.

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Mahima Real Estate Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

OWNER

Ar. Jitendra Sharma
72, Sardar Patel Marg, Opp. CPMG
Office C-Schame, Jaipur (Raj.)-302001
CA/2009/45196
CTP-RAJ./Architects/2021

ARCHITECT

SHEET NO. 1/10

ELEVATIONS

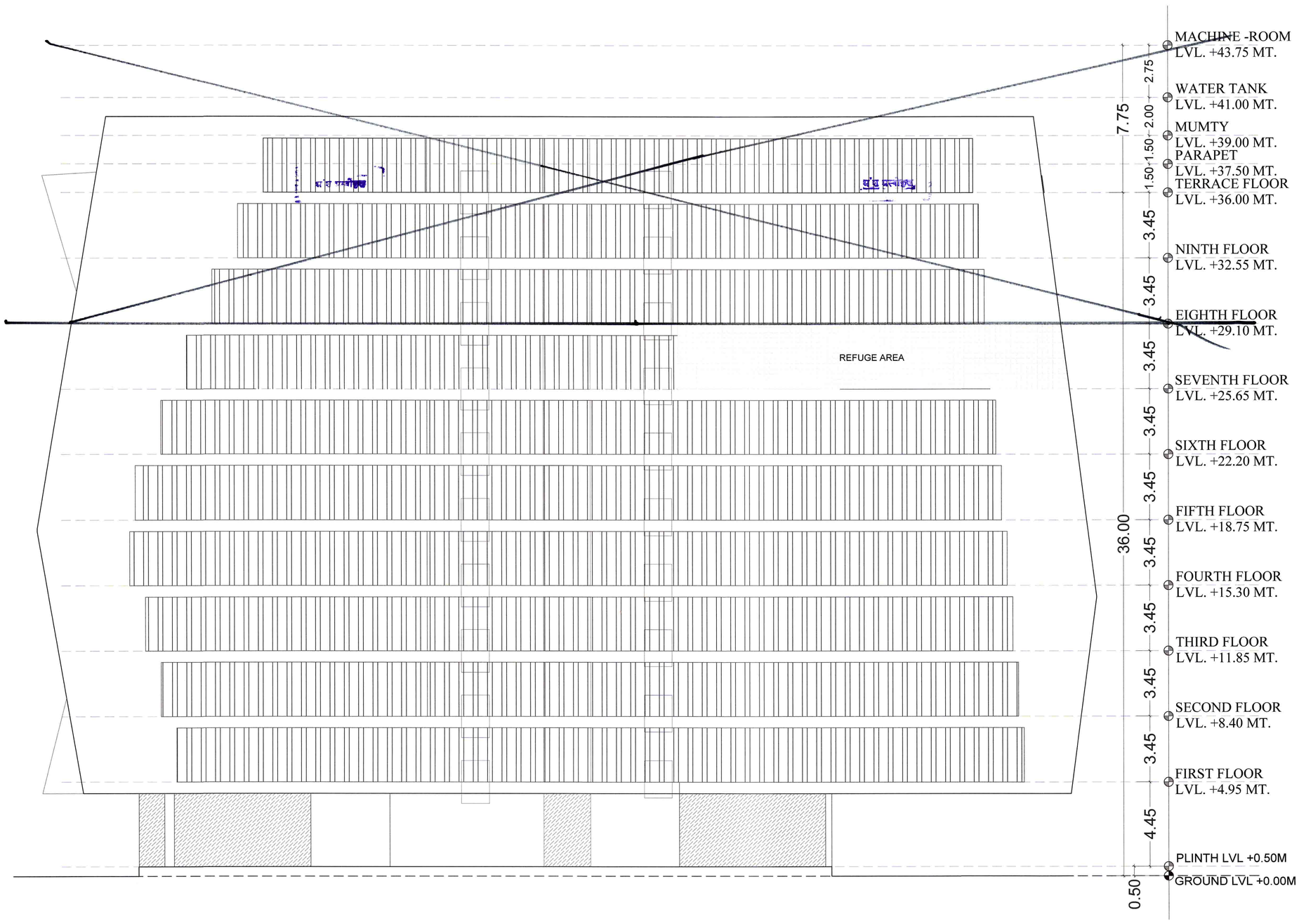

SOUTH ELEVATION

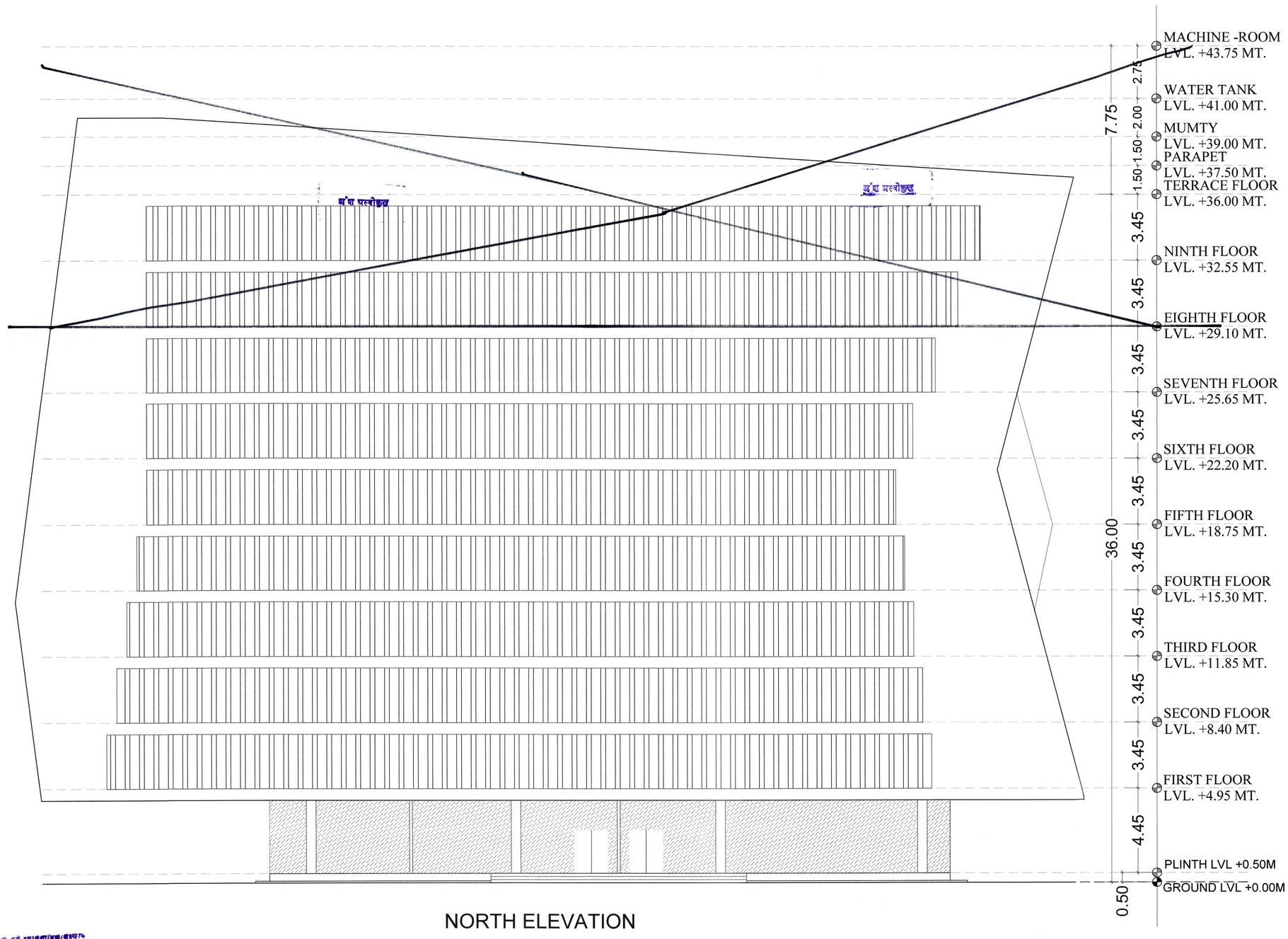

NORTH ELEVATION

DRAWING TITLE :-

ELEVATIONS

MAHIMA REAL ESTATE PVT. LTD.

PROJECT TITLE :
COMMERCIAL TOWER " MAHIMA MAGNUS"
On KHASRA NO. 330, 333/492.
AT VILLAGE RAMPURA RUPA,
TONK ROAD, JAIPUR.

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Mahima Real Estate Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

OWNER

Ar. Jitendra Sharma
72, Sardar Patel Marg, Opp. CP&G
Office C-Scheme, Jaipur (Raj.)-302001
CA/2009/45195
CTP Raj./Architects/2021/32

ARCHITECT

SHEET NO. ~~12~~ 11

ELEVATIONS & SECTIONS

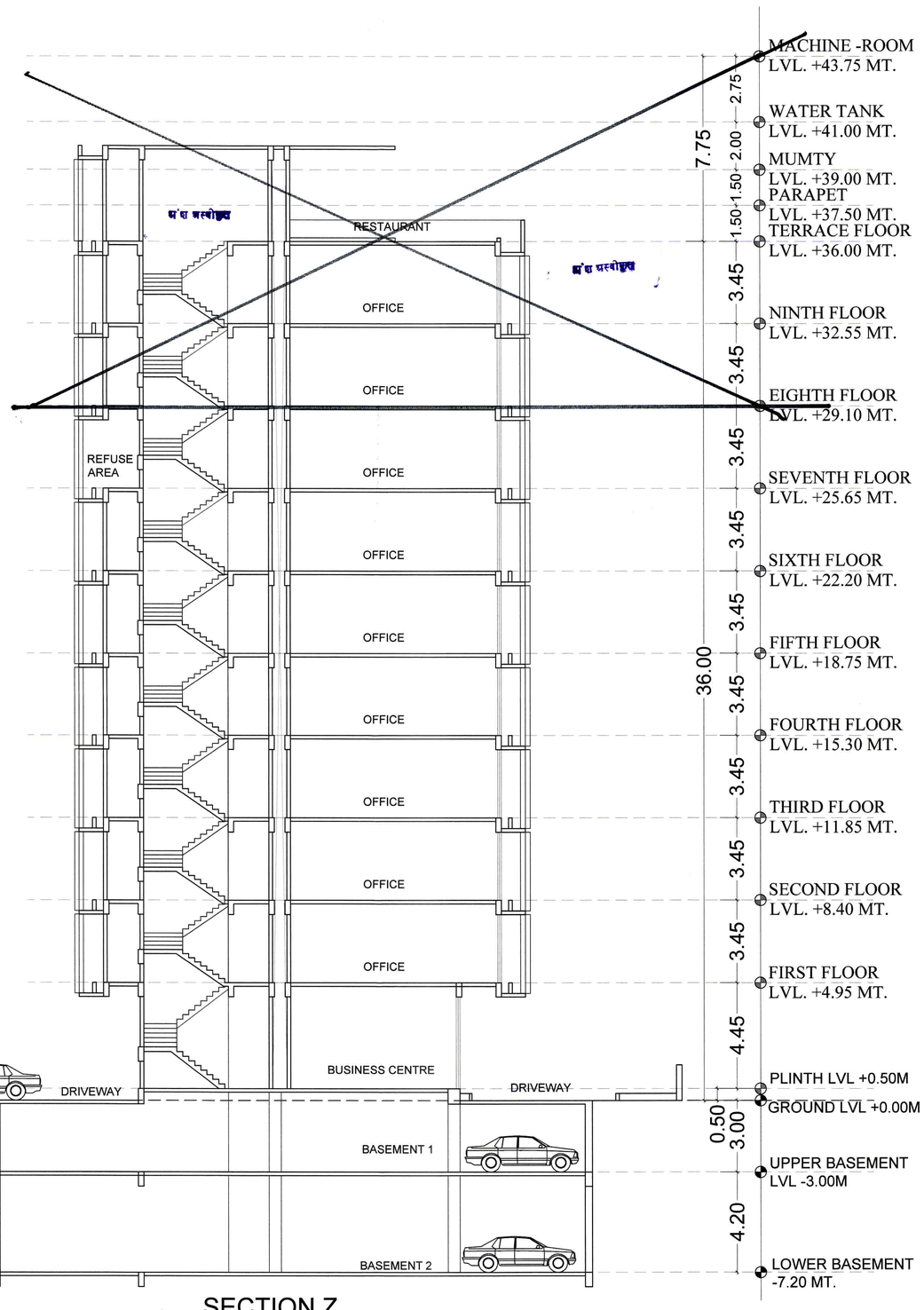

SECTION Z

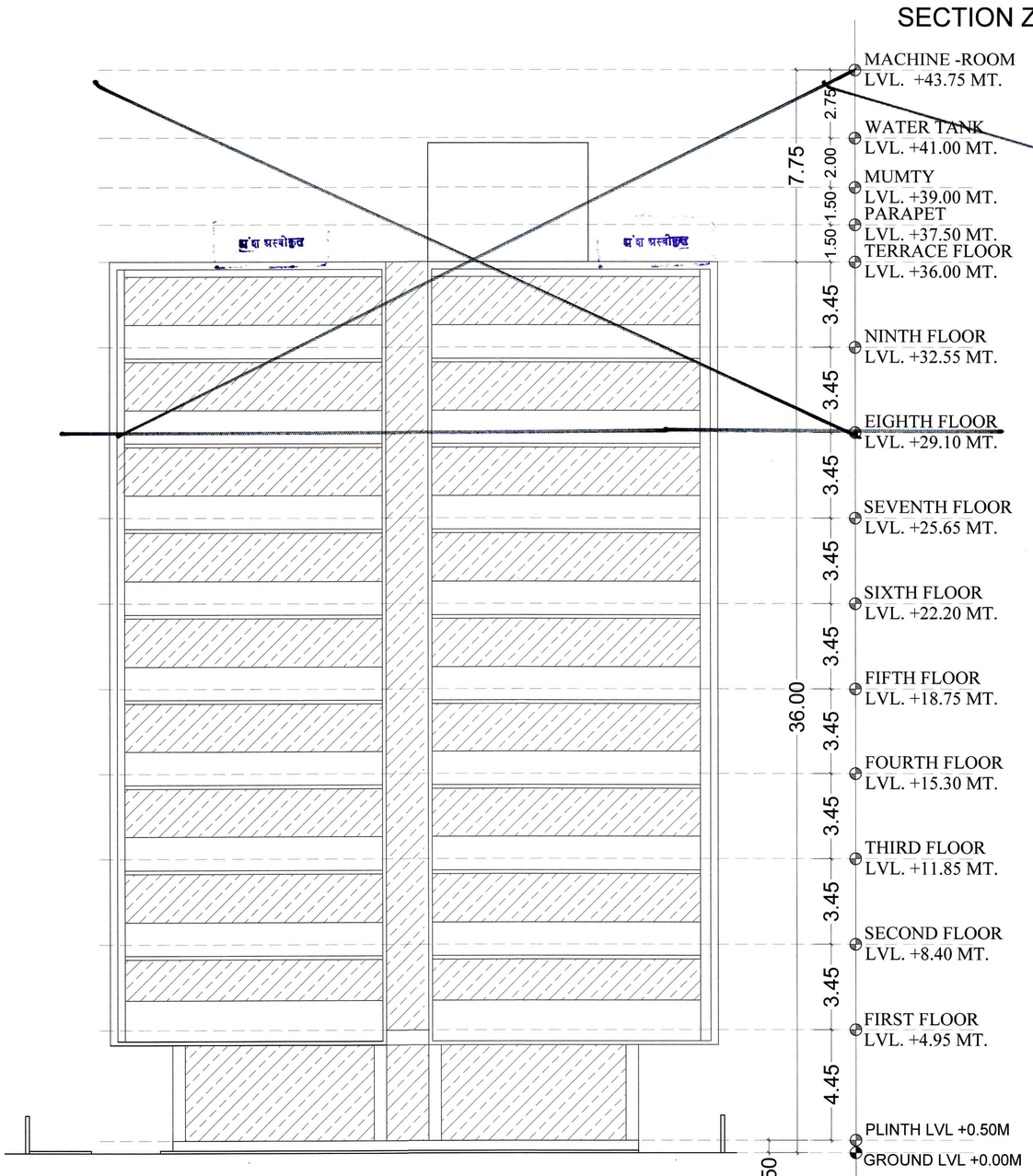

WEST ELEVATION

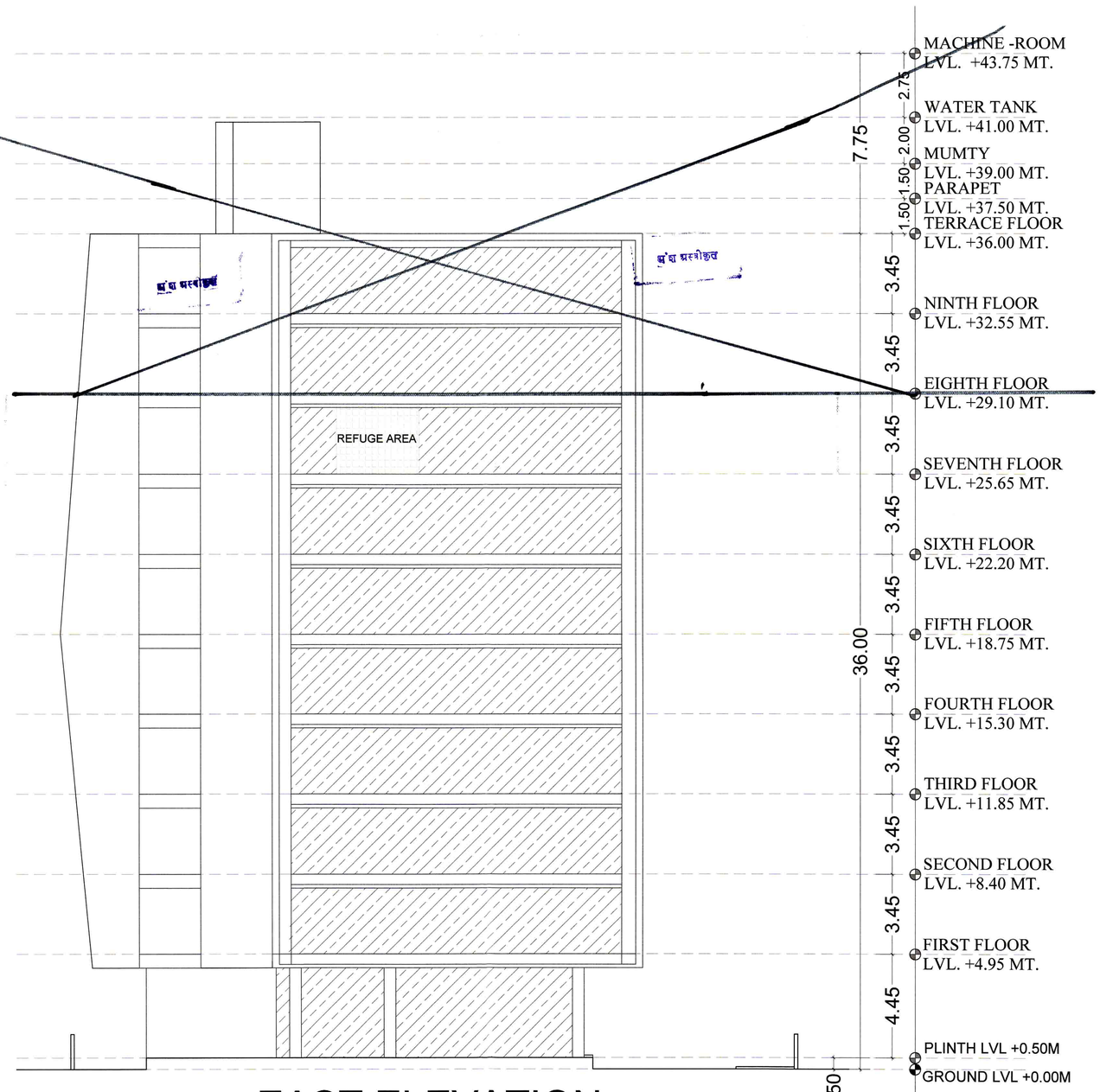

EAST ELEVATION

DRAWING TITLE :-

ELEVATIONS & SECTIONS

MAHIMA REAL ESTATE PVT. LTD.

PROJECT TITLE :
COMMERCIAL TOWER " MAHIMA MAGNUS"
On KHASRA NO. 330, 333/492.
AT VILLAGE RAMPURA RUPA,
TONK ROAD, JAIPUR.

...ाधिपत्य का अनुशासन किसी भी दशा...
...मत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व ...
...ेगा और व ...
...धिकार...
...ये गये अनुमोदित मानचित्रों ...
...ये भवन निर्माण का संदर्भ...
STRUCTURE) का अंकित ...
...होगा"

...ीय नगर में वर्ष ...स्वामित्व/संस्थान...
...ों के लिये पर भवन निर्माकर्ता द्वारा ...
...ा मानचित्र की प्रति प्राप्त करना है ...
...ed prominently display की जायेगी ...
...के प्रकार के प्रयोजनों के लिखित भवन मान...
...पर भवन निर्माकर्ता द्वारा स्वीकृत दिनांक ...
...प्रकार भवनों में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने ...
...की तिथि से एक वर्ष के अधिकतम अवधि ...
...किया जावेगा।

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

...ायुक्त
...भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

...application ...encing ...ges to ...
...construction checked at plinth ...
...evel before proceeding ...
...further construction.

SCALE 1:100	NORTH POINT S E W N
For Mahima Real Estate Pvt. Ltd. Authorised Signatory	Ar. Jitendra Sharma 72, Sardar Patel Marg, Opp. CPMG Office C-Scheme, Jaipur (Raj.)-302001 CA/2009/45366 COA No. 6/Architects/2023/32
OWNER	ARCHITECT